पंजीयन क्रं. छ.ग. राज्य - 197

Mobile : 09406255666
09425207619

CHHATTISGARH VIDYUT MANDAL ABHIYANTA SANGH

छ. ग. विद्युत मंडल अभियंता संघ

(अखिल भारतीय विद्युत अभियंता महासंघ से सम्बद्ध)

(AFFILIATED WITH ALL INDIA POWER ENGINEERS FEDERATION)

एम-9, कृष्णा नगर, डंगनिया, रायपुर - ४९२०१३ (छ.ग.) ■ M-9 Krishana Nagar, Daganiya, Raipur - 492013 (C.G.)

E-mail : cgpowerengineers@gmail.com

Ref. No. 78

Date. 06/05/2014

प्रति,

अध्यक्ष,
छत्तीसगढ राज्य विद्युत कम्पनीज,
डंगनिया, रायपुर

विषय : छ0रा0वि0मं0 एवं उत्तरवर्ती पॉवर कंपनियों में वर्ष – 2004 एवं उसे बाद नियुक्त अभियंताओं हेतु लागू की गई " नेशनल पेंशन योजना (एनपीएस) के संबंध में।

संदर्भ :
1. क्रमांक 01–05/म.नि./1184 दिनांक 18.11.2011
2. अधिसूचना क्रमांक 01–01/47 दिनांक 05.09.2007
3. परिपत्र क्रमांक 05–01/भ.नि./1031 दिनांक 20.09.2007

मान्यवर,

छत्तीसगढ राज्य विद्युत मण्डल व्दारा संदर्भित अधिसूचना के माध्यम से 01.04.2004 एवं उसके उपरांत नियुक्त किये गये अभियंताओं हेतु न्यू पेंशन योजना (एनपीएस) में पाई गई योजना के प्रभावशील होने तक समस्त अभियंताओं को सामान्य भविष्यनिधि योजना के अंतर्गत रहेगे, ऐसा प्रावधान निहित था । इस प्रावधान के परिप्रेक्ष्य में कार्यरत अभियंताओं ने वर्ष – 2004 से 2014 तक, 10 वर्षो का अंशदान कम्पनी के खाते में जमा किया गया एवं न्यू पेंशन योजना के हस्तांतरण के अंतर्गत अभियंताओं का अंशदान एवं कम्पनी का अंशदान एक साथ पूर्ण रूपेण न्यू पेंशन योजना (एनपीएस) हस्तांतरण संबंधी निर्देश प्रसारित किये गये । न्यू पेंशन योजना (एनपीएस) पेंशन फण्ड रेगुलेटरी एवं डिपार्टमेंट आडिट व्दारा संचालित है , जिसके नियमएवं शर्तेपीएफआरडीए के वेब साईड पर उपलब्ध है।

एनपीएस के तहत अभियंताओं की जीवन भर की बचत एवं भविष्य दोनो हानिकारक , घातक एवं जोखिमपूर्ण परिस्थितियो के अंतर्गत वर्तमान में संचाति है । अतः अभियंताओं व्दारा मेहनत से उत्पन्न कमाई भविष्य की सुरक्षा हेतु की गई बचत को शेयर बाजार के हवाले करते हुए खुले बाजार (शेयर) में निवेश होगा जो अभियंताओं हेतु अहितकारी एवं हानिकारक वर्तमान परिस्थितियों में प्रतीत होता है ।

पंजीयन क्र. छ.ग. राज्य - 197

Mobile : 09406255666
09425207619

CHHATTISGARH VIDYUT MANDAL ABHIYANTA SANGH
छ. ग. विद्युत मंडल अभियंता संघ
(अखिल भारतीय विद्युत अभियंता महासंघ से सम्बद्ध)
(AFFILIATED WITH ALL INDIA POWER ENGINEERS FEDERATION)

एम-9, कृष्णा नगर, डंगनिया, रायपुर - ४९२०१३ (छ.ग.) ■ M-9 Krishana Nagar, Daganiya, Raipur - 492013 (C.G.)
E-mail : cgpowerengineers@gmail.com

Ref. No.....................   Date.............................

वर्तमान में लागू एनपीएस योजना खातेदारों को न्यूनतम रिटर्न का कोई प्रमाणिक मापदण्ड एवं आश्वासन प्रदान नहीं करता है । सेवारत् केन्द्रीय कर्मचारियो/अधिकारियों हेतु सुझाव सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग, भारत सरकार व्दारा सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से दिनांक 04.05.2014 को प्रकाशित किया गया जिसकी प्रति सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न है। सूचना के **बिंदु कमांक "च"** में यह वर्णित किया गया है " **उन सिद्धांतो की जांच करना जिसमें पेंशन एवं अन्य सेवा निवृत्ति लाभों की संरचना शासित होनी चाहिए, और इसमें इस तथ्य को भी ध्यान में रखरते हुए कि 01.01.2004को अथवा उसके बाद नियुक्त केन्द्र सरकार के सभी कर्मचारियों को सेवा निवृत्ति लाभ " नई पेंशन योजना" के दायरे में आते है, उन कर्मचारियों के पेंशन में संशोधन भी शामिल है, जो इन सिफारिशो के प्रभावी होने की तारीख से पहले सेवा निवृत्त हो जायेगें ।"**

अतः यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि वर्तमान में नई पेंशन योजना में कमियों के साथ-साथ कर्मचारियों एवं अधिकारियों के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अलाभकारी है ।

नई पेंशन योजना में कर्मचारी या उसके आश्रित, नियोक्ता से प्रकरण विशेष पर निराकरण प्राप्त करने का प्रावधान परिलक्षित नहीं होता है, अपितु संबंधित कर्मचारी एवं अधिकारी को अन्य एजेंसियों से प्रकरण विशेष पर निराकरण प्राप्त करना अत्यंत दुरह कार्य होगा । अतः सेवा काल से संबंधित प्रकरण विशेष पर कर्मचारी एवं अधिकारी को नियोक्ता से ही सीधे निराकरण प्राप्त हो, ऐसी व्यवस्था हेतु अभियंता संघ आश्वस्त होना चाहते है ।

नई पेंशन योजना की वर्तमान परिस्थितियॉ नियोक्ता व्दारा नियुक्त अधिकारी एवं कर्मचारीयो की सेवा संबंधों में भी असामंजस्य की प्रबल संभावनाये परिलक्षित करता है, जो नियोक्ता हेतु भी उचित प्रतीत नहीं होता है ।

एनपीएस योजना अभियंताओं के हितो के विपरित है एवं देश के बहुत से राज्यो में यथा महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तरप्रदेश, केरल, पश्चिम बंगाल आदि के विद्युत उपक्रमों में यह योजना नहीं पाई गई है। केन्द्र सरकार को भी बडे सार्वजनिक उपक्रमों जैसे पीजीसीआईएल, एनटीपीसी, सेल, बीएसएनएल, ओएनजीसी आदि में भी यह योजना प्रभावशील नहीं है । अतः संपूर्ण परिवेश पर इस योजना से संबंधित पहलूओं की कमियॉ एवं समग्र दुष्परिणामो पर पुनः पूर्ण विचार किये जाने हेतु अभियंता संघ विद्युत कम्पनी प्रबंधन से निम्नानुसार निवेदन करता है :

पंजीयन क्रं. छ.ग. राज्य - 197

Mobile : 09406255666
09425207619

CHHATTISGARH VIDYUT MANDAL ABHIYANTA SANGH

छ. ग. विद्युत मंडल अभियंता संघ

(अखिल भारतीय विद्युत अभियंता महासंघ से सम्बद्ध)

(AFFILIATED WITH ALL INDIA POWER ENGINEERS FEDERATION)

एम-9, कृष्णा नगर, डंगनिया, रायपुर - ४९२०१३ (छ.ग.) ■ M-9 Krishana Nagar, Daganiya, Raipur - 492013 (C.G.)
E-mail : cgpowerengineers@gmail.com

Ref. No...... .... Date............................

1. छत्तीसगढ राज्य विद्युत कम्पनी मर्या0 एक कार्पोरेट संस्था है, अतः इस योजना का ऐच्छिक रूप से अपनाने अथवा नकारने का अधिकार प्राप्त है, जिसके अंतर्गत वर्तमान में अधिकारियों एवं कर्मचारियों के हित संरक्षण को ध्यान में रखते हुए विद्युत कम्पनी प्रबंधन पुर्नविचार करें ।
2. नई पेंशन योजना में राशि के हस्तांतरण विद्युत कम्पनी व्दारा भी नहीं किया गया है । अतः अधिकारियों एवं कर्मचारियों के हित संरक्षण को दृष्टिगत करते हुए हस्तांतरण अभ्यावेदन निर्णय पर अविलंब रोक हेतु निवेदन किया जाता है ।
3. वर्ष 2004 के उपरांत लागू नई पेंशन योजना के अनिश्चितता के अलाभकारी योजना को दृष्टिगत करते हुए व्यापक संशोधन तक विद्युत कम्पनी व्दारा संग्रहित अंशदान को विद्यूत कम्पनी प्रबंधन के पास ही सुरक्षित रखे जाने हेतु निवेदन है ।

अभियंता संघ उपरोक्त संदर्भ में आपके समक्ष विचार–विमर्श करने हेतु सहयोगात्मक रूप से सदैव कर्मचारियों एवं अधिकारियों के हित संरक्षण हेतु निवेदन करता है ।

स ध न्य वा द,

संलग्न : यथोक्त,

भ व दी य

6/5/2014

(पी0के0 खरे)
महासचिव
छ0वि0मं0 अभि0 संघ

प्रतिलिपिः

1. ऊर्जा सचिव, छ0ग0 शासन, महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर को सूचनार्थ ।
2. प्रबंध निदेशक (होल्डिंग), छराविहोक मर्या0, डंगनिया, रायपुर को सूचनार्थ ।
3. प्रबंध निदेशक (उत्पादन), छराविउक मर्या0, डंगनिया, रायपुर को सूचनार्थ ।
4. प्रबंध निदेशक (ट्रांस), छराविट्राक मर्या0, डंगनिया, रायपुर को सूचनार्थ ।
5. प्रबंध निदेशक (वितरण), छराविविक मर्या0, डंगनिया, रायपुर को सूचनार्थ ।
6. प्रबंध निदेशक (ट्रेडिंग), छराविट्रेक मर्या0, डंगनिया, रायपुर को सूचनार्थ ।